सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 249 राँची ,गुरुवार

8 ज्येष्ठ 1936 (श०)

29 मई, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

23 मई, 2014

1. उपायुक्त, पलामू का पत्रांक 325/स्था0, दिनांक 09.06.2012

2. श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक-309, दिनांक 10.08.2013

3. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-8669, दिनांक 26.07.2012, पत्रांक-9909, दिनांक 28.08.2012, संकल्प सं0-11505, दिनांक 08.10.2012 एवं पत्रांक-1197, दिनांक 07.02.2014

संख्या-5/आरोप- 1-404/2014 का.- 4625--श्रीमती मनीषा तिर्की, झा0प्र0से0 (जे0पी0एस0सी0-द्वितीय बैच, गृह जिला- गुमला) के विरूद्ध इनके प्रखंड विकास पदाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक 325/स्था0, दिनांक 9 जून, 2012 के द्वारा आरोप प्रपत्र-'क' में प्राप्त है। श्रीमती तिर्की के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

1. गढ़वा प्रखण्ड अन्तर्गत सरकारी बैंक खाते से 29 चेक का गायब होना।

2. उक्त गायब 29 चेकों में से 8 चेकों द्वारा मो0 79,92,465.00 रूपये की फर्जी निकासी किया जाना।

3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या-11468877160 से चेक संख्या-350796,350797,350798 एवं 350799 के गायब होने का मामला प्रकाश में आने के बाद भी उसकी सूचना न तो उपायुक्त को दी गयी, न ही उस संबंध में उक्त तिथि को प्राथमिकी ही दर्ज करायी गई।

4. गैर सरकारी व्यक्ति सतीश सिंह से अनधिकृत रूप से प्रखण्ड नजारत का महत्वपूर्ण कार्य कराया जाना।

5. गैर सरकारी व्यक्ति सतीश सिंह के जिम्मे चेक पंजी एवं चेक बुक छोड़ना तथा उक्त व्यक्ति के सहयोग से चेक निर्गत किया जाना।

6. चेक पंजी का विधिवत एवं अद्यतन संधारण नहीं किया जाना।

7. चेक पंजी पर नाजीर एवं प्रधान सहायक हस्ताक्षर प्राप्त किये बिना ही मनमौजी ढंग से चेक निर्गत किया जाना।

8. सहायक मीरा वर्मा के स्थान पर उसके पति बबलू सिन्हा से सरकारी कार्य कराया जाना।

9. सामान्य रोकड पंजी का प्रत्येक दिन संधारण नहीं किया जाना। यह दिनांक 21 जनवरी, 2012 के पश्चात् से लिखा ही नहीं गया है।

10. सामान्य रोकड पंजी का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्रीमती मनीषा तिर्की द्वारा सत्यापन/हस्ताक्षर नहीं किया जाना। इस रोकड़ पंजी का सत्यापन दिनांक 21 जनवरी, 2012 के पश्चात् किया ही नहीं गया है।

11. सामान्य रोकड पंजी के साथ-साथ अन्य रोकड़ पंजी का संधारण भी दो/तीन माह से लंबित है-

क- दीनदयाल योजना से संबंधित SUBSIDIARY CASH BOOK प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 तक संधारित है। उक्त पंजी का सत्यापन श्रीमती तिर्की द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2012 के पश्चात् किया ही नहीं गया है।

ख- मनरेगा से संबंधित रोकड़ पंजी दिनांक 24 अप्रैल, 2012 तक ही लिखा गया है। उक्त पंजी का सत्यापन श्रीमती तिर्की द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2012 के पश्चात् किया ही नहीं गया है।

12. कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रखण्ड अन्तर्गत सरकारी खाते से व्यय की गई राशि की प्रविष्टि नाजिर द्वारा प्रत्येक दिन संबंधित योजना के रोकड़ पंजी में दर्ज करते हुए इसे सामान्य रोकड़ पंजी में भी दर्ज की जानी चाहिए। व्यय की गई राशि से संबंधित उक्त प्रविष्टि की जांच प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन की जानी चाहिए। साथ ही सप्ताह में एक बार सामान्य रोकड़ पंजी में उपलब्ध राशि का मदवार एवं बैंकवार break up भी रोकड़ पंजी में अंकित किया जाना चाहिए, जो श्रीमती तिर्की द्वारा नहीं किया गया है।

13. कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली के अनुसार प्रत्येक माह रोकड़ पंजी में उपलब्ध राशि का मिलान बैंक से भी किया जाना चाहिए। विशेष कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तो यह निश्चित रूप से किया जाना चाहिए था, किन्तु श्रीमती तिर्की द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाहन न कर लपरवाही बरती गई है तथा कोषागार संहिता एवं वित्तीय नियमावली का उल्लंघन किया गया है। फलस्वरूप, गढ़वा प्रखण्ड के सरकारी खाते से मो0 79,92,465.00 रूपये की फर्जी निकासी कर ली गई है।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-8669, दिनांक 26 जुलाई, 2012 द्वारा श्रीमती तिर्की से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक-9909, दिनांक 28 अगस्त, 2012 द्वारा श्रीमती तिर्की को स्मारित भी कराया गया, परन्तु उनका उत्तर अप्राप्त रहा। विभागीय संकल्प सं0-11505, दिनांक 8 अक्तूबर, 2012 द्वारा श्रीमती तिर्की के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री अशोक कुमार सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

श्री अशोक कुमार सिन्हा के पत्रांक-309, दिनांक 10 अगस्त, 2013 द्वारा श्रीमती तिर्की के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्रीमती तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित पाया गया।

श्रीमती तिर्की के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनके तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित दण्ड के लिए विभागीय पत्रांक-1197, दिनांक 7 फरवरी, 2014 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई। उक्त के अनुपालन में श्रीमती तिर्की द्वारा अपने पत्र दिनांक 24 फरवरी, 2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर

समर्पित किया गया है, जिसमें इनके द्वारा कोई नया तथ्य समर्पित नहीं किया गया है एवं ये अपने विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को अप्रमाणित सिद्ध करने में असफल रही हैं।

श्रीमती तिर्की के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्रीमती तिर्की के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए इनपर निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित की जाती है:-

1. **इनके तीन वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक, एवं**

2. **निन्दन**

साथ ही, संबंधित मामले में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा के न्यायालय में इनके विरूद्ध चल रहे आपराधिक वाद जी0आर0 सं0-793/12, गढ़वा कांड सं0-141/12 में यदि श्रीमती तिर्की दोषी सिद्ध होती है, तो इनपर वृहद् दण्ड अधिरोपण हेतु विचार किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 249–50 ।